

23066/12



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 965987



श्री. कल्याण अकबरपुर
कानपुर देहात

श्रीगणेशाय नमः



श्री. कल्याण
कानपुर देहात

1- कार्यालय का नाम-

उप निबन्धक अकबरपुर जिला कानपुर देहात।

2- लेखपत्र निष्पादन तिथि-

26-12-2012

31/12/2012



11

विक्रमशर्मा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 965988

- 2 -

- 3- लेखपत्र प्रस्तुतीकरण तिथि- 26-12-2012
- 4- लेखपत्र की प्रकृति- विक्रयपत्र।
- 5- प्रतिफल- 20,00,000 / - रुपये ।
- 6- सरकारी मालियत- 20,74,000 / - रुपये ।

उत्तर प्रदेश

रविशंकर शर्मा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 965989

3

7- विक्रेताओं की संख्या- 01

8- खेतीओं की संख्या- 01

9- विक्रेता का नाम व पता- आशा पत्नी रविशशिनरायन निवासिनी बाई नं-1

सुभाषनगर कस्बा रुरा तहसील व परमाना अकबरपुर जिला कानपुर देहात ।

2-1-2011 दिनांक

रविशशिनरायन





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 965990

4

10-क्रेता का नाम व पता- प्रेमवती प्रकाशनारायण महाविद्यालय द्वारा प्रबन्धक श्री
रविशर्मा द्विवेदी प्रेमवती प्रकाशनारायण महाविद्यालय समिति ग्राम व पोस्ट कुरा
तहसील व परगना अकबरपुर जिला कानपुर देहात ।

11- भूमि की प्रकृति- कृषि भूमि (बिशिष्ट ग्राम)

उत्तर प्रदेश द्विवेदी

रविशर्मा द्विवेदी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 965991

5

12- ग्राम- जगनपुर तहसील व परगना अकबरपुर जिला कानपुर देहात।

13- विकीत सम्पत्ति का विवरण -

खाला सं०	गाटा सं०	क्षेत्रफल
0011	226	1,1850 हे०

कुल 1 कित्ता रकबा 1,1850 हे० लगान 36 10 रूपया है जिसमे मुझ मुकिसा का पूर्ण

रविशंकर शिंदी



रविशंकर शिंदी



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 965992

6

भाग है जो सम्पूर्ण हिस्सा बिक्रय किया है अर्थात् बिक्रीत रकबा 11850 हे० रकबा है।

14- जमीन किस्म- सिंचित ।

15- सड़ का विवरण- बिक्रीत आराजी बनीपारा लिकरोड के किनारे स्थित है।

16- निर्मित/अनिर्मित- अनिर्मित ।

रविशंकर शर्मा

रविशंकर शर्मा





₹.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 965921

17- अधिवक्ता का नाम - श्री दिलीप कुमार यादव एडवोकेट

कोर्ट कम्पाउण्ड अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।

18- विक्रीत सम्पत्ति की चीहददी-

पूरब- नगीना व राजकुमार की आराजी बादह अन्य आराजी ।

3-11-04 दिनांक

रमेश चंद्र शर्मा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 965922

8

पश्चिम- जगमोहन की आराजी बादहू अन्य आराजी ।

उत्तर- चकरोड बादहू अन्य आराजी ।

दक्षिण- बनीपारा लिकरोड ।

डा. १०११ दिवा. १

अविश्वसित कर्षी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 965923

9

19- स्टाम्प अदायगी का विवरण-

- 1- सर्किल रेट दर- 17,50,000/- रु० प्रति हेक्टेयर ।
- 2- अकारित मूल्य- 20,74,000/-रुपये ।
- 3- स्टाम्प अदायगी दर- 5 प्रतिशत ।

इनाम सिद्धी



शिवशशि सिद्धी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 965924

= 10 =

4- स्टाम्प शुल्क घनराशि- 1,03,700/- रुपये ।

20-ई विक्रीत सम्पत्ति टाउन एरिया/नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है तथा कानपुर

विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत नहीं है ।

उत्तर प्रदेश सरकार

विकास प्राधिकरण





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 965925

11

मैं कि आशा पत्नी रविशशिनरायन निवासिनी वार्ड न०-1 सुभाषनगर कस्बा रुरा
तहसील व परगना अकबरपुर जिला कानपुर देहात की हूँ विदित हो कि मैं मुक्तिरा
अनु० जाति/अनु० जन जाति की सदस्या नहीं हूँ तथा विकीत आराजी जिला
मुख्यालय से लगभग 23 कि० मी० से अधिक दूरी पर है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के

आशा पत्नी

रविशशिनरायन





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 965926

= 12 =

किनारे नहीं है किन्तु विक्रीत आराजी बनीपारा लिंकमार्ग के किनारे स्थित है तथा
टाकून एरिया/नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है तथा कानपुर विकास प्राधिकरण की
सीमा के अन्तर्गत नहीं है विक्रीत आराजी स्थित ग्राम जगनपुर राहसील व परगना
अकधरपुर जिला कानपुर देहात में है जिसका पूर्ण विवरण इस लेखपत्र के अन्त में

राजेश शर्मा

राजेश शर्मा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 966040

13

दिया हुआ है जिसकी मैं मुकिया मालिक, स्वामी, कायिज व दखील हूँ, जिसका हस्तान्तरण व विक्रय करने सम्बन्धी सर्व अधिकार मुझ मुकिया को प्राप्त है अस्तु स्थिर
मन बुद्धि एवं स्वच्छा से बिना किसी आतक अथवा दवाव के पूर्ण स्वस्थायस्था में सम्पूर्ण स्वत्वों एवं अधिकारों सहित बगरज निजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बिल

रा. ३१११

रमेशचन्द्राजी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 966041

= 14 =

एक मुबलिंग 20,00,000/- रुपये जिसका आधे मुबलिंग 10,00,000/- रुपये होते हैं
मे बंदस्त प्रमवती प्रकाशनारायण महाविद्यालय द्वारा प्रबन्धक श्री रविशशि द्विवेदी
प्रमवती प्रकाशनारायण महाविद्यालय समिति ग्राम व पोस्ट रुरा तहसील व परगना
अकबरपुर जिला कानपुर देहात को विक्रय कर दिया यानी बंच दिया तथा उपरोक्त

उत्तर प्रदेश



रविशशि द्विवेदी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 966042

15

विक्रय मूल्य का सम्पूर्ण रूपया कंता से नगद बरडौफ रास्ता घर पर प्राप्त कर लिया है अब विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में कंता से कुछ भी पाना शेष नहीं है विक्रीत आराजी पर कंता का कब्जा व दखल करा दिया कंता आज से विक्रीत आराजी का मालिक, स्वामी काविज व दखील हो गया कंता को अधिकार होगा कि वह विक्रीत आराजी

कंता शिवराज

शिवराज शिवराज





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 966043

18

पर मेरे नाम के स्थान पर अपना नाम कागजात सरकारी में अंकित करा लेवे जिसमे मुझ मुक़िरा व मेरे कानूनी वारिशानों को कोई आपत्ति न होगी बल्कि आवश्यकता पड़ने पर मैं मुक़िरा अपनी हर प्रकार की लिखित एवं मौखिक राजामन्दी के बयान दे दूंगी विदित हो कि विक्रीत आराजी हर प्रकार के ऋण, भार, बन्धन से मुक्त है यदि

हस्ताक्षर मुक़िरा

हस्ताक्षर विक्रीत





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 966044

= 17 =

कहीं बन्धक पायी जावे या मेरी किसी भी प्रकार की नुकस मिलिकदत को कारण
विकीत आराजी का जुज भाग या कुल भाग केता को कब्जे से निकल जावे या किसी
भी प्रकार की हानि उठानी पड़े तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुझ मुक़िरा पर होगी
और ऐसी स्थिति मे केता अपना सम्पूर्ण विकय मूल्य मय हानि व ब्यय सहित मुझ

31.01.2017 दिनांक

रमेश शर्मा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 966045

- 18 -

मुक़्दर से व मुक़्दर की अन्य दीगर चल व अचल सम्पत्ति से वसूल पाने का अधिकारी होगा विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में इसके पूर्व कोई बय इकरारनामा तहरीर नहीं किया गया है विक्रीत आराजी सीलिंग कानून के अन्तर्गत नहीं आती है विक्रीत आराजी पर कोई नीय इमारत, प्लस व नलकूप आदि नहीं है विक्रीत पर किसी भी

रु. 1000 दिने ली

रोपशाश कर्मा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 966001

19

प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं है विकीत आराजी पर कृषि कार्य होता है तथा
विकीत आराजी विद्यालय सस्था द्वारा कय की जा रही है।

अतः खूब सोच व समझकर बिना किसी आतक अथवा दबाव के पूर्ण
स्वस्थावस्था मे यह विक्रय पत्र यानी बैनामा तहरीर कर दिया ताकि प्रमाण रहे और
समय जरूरत पर काम आवे।

31.05.1974

रविशंकर मिश्रा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 358953

21

भाग है जो सम्पूर्ण हिस्सा बिक्रय किया है अर्थात् बिक्रीत रकबा 11850 हे० रकबा है

बिक्रीत आराजी के चारों ओर आस-पास 200 मीटर की चौहद्दी निम्न है —

पूरब— नगीना व राजकुमार की आराजी बादहू अन्य आराजी ।

पश्चिम— जगमोहन की आराजी बादहू अन्य आराजी ।

31.12.11 दिवस



रामश्री शर्मा

